**न्यायालयः– शिवानी राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
जावरा, जिला– रतलाम (म.प्र.)**

(निर्णय दिनांक 28.07.2026 को घोषित)

Registration No.- 902/2023

Filling No.- RCT- 2639/2023

C.N.R. No.-MP4305-003259-2023

Filling Date- 17-08-2023

(प्रथम सूचना रिपोर्ट/अपराध और पुलिस थाने का विवरण)

परिवादी	म0प्र0 राज्य द्वारा थाना प्रभारी, आरक्षी केन्द्र **पिपलौदा,** जिला– रतलाम (म0प्र0)
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान ए.डी.पी.ओ. श्री सुनिल सिंह खेर
अभियुक्त/ अभियुक्तगण	**01.** रणछोड़लाल पिता बालाराम,उम्र–41 वर्ष, **02.** दिलीप पिता बालाराम, उम्र–38 वर्ष, **03.** घनश्याम पिता छोगालाल, उम्र–24 वर्ष, निवासीगण–कंचनखेड़ी,थाना–पिपलौदा जिला– रतलाम (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री राजनसिंह सोलंकी अधिवक्ता।

अपराध की तिथि	07.05.2023
प्र.सू.रि. की तिथि	08.05.2023
आरोप पत्र की तिथि	17.08.2023
आरोपों की विरचना की तिथि	24.07.2026
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	06.11.2025
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	28.07.2026
निर्णय की तिथि	28.07.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	28.07.2026

अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्त या दंडादेश	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 दं0प्र0सं0 के प्रयोजनार्थ विवरण के दौरान भोगी गयी निरोध की अवधि
01.	रणछोड़	धारा–41(क) द.प्र.सं. का सूचना–पत्र	–	धारा–294, 323(शीर्ष 02) 325/34, 506 भाग–2 भा.द.वि.	धारा– 294 भा.द.वि. में दोषमुक्त एवं धारा–323(शीर्ष 02), 325/34 एवं 506 भाग–2 भा.द.वि. के आरोप में दोषसिद्ध	धारा–323 (शीर्ष 02) में 6–6 माह का सश्रम कारावास एवं 1,000/–1,000/– रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा–325/34 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000/–रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा–506 भाग–2 में 1 वर्ष का सश्रम करावास एवं 1,000/–रूपये का अर्थदण्ड	**कुछ नहीं।**
02.	घनश्याम	धारा–41(क) द.प्र.सं. का सूचना–पत्र	–	धारा–323, 325/34 , 506 भाग–2 भा.द.वि.	धारा–323, 325/34 एवं 506 भाग–02 भा.द.वि. के आरोप में दोषसिद्ध	धारा– 323 भादवि में 6 माह का सश्रम कारावास एवं 1,000/–रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा–325/34 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं	**कुछ नहीं।**

						10,000 / –रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा–506 भाग–2 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000 / –रूपये का अर्थदण्ड	
03.	दिलीप	धारा–41(क) द.प्र.सं. का सूचना–पत्र	–	धारा– 325 323 / 34 एवं 506 भाग–2 भा. द.वि.	धारा–325, 323 / 34 एवं 506 भाग–02 भा.द.वि. के आरोप में दोषसिद्ध	धारा– 325 भा. द.वि. में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 / – रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा–323 / 34 भादवि में 6 माह का सश्रम कारावास एवं 1,000 / –रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा–506 भाग–02 में 1 वर्ष का सश्रम करावास एवं 1,000 रूपये का अर्थण्ड	**कुछ नहीं।**

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षियों की सूची क्रमांक
अभियोजन साक्षीः–

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.– 01	भवंरलाल	फरियादी / पीड़ित
अ.सा.– 02	मांगीलाल	पीड़ित / साक्षी
अ.सा.– 03	कबीर	पीड़ित / साक्षी
अ.सा.– 04	डॉ.पवन पाटीदार	मेडिकलकर्ता

अ.सा.– 05	डॉ.अरूण गुप्ता	मेडिकलकर्ता / एक्स–रे रिपोटिंगकर्ता
अ.सा.– 06	दिनेश राठौर	विवेचक

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची क्रमांक अभियोजन :–

स.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01.	प्र.पी.– 01	प्रथम सूचना रिपोर्ट
02.	प्र.पी.– 02	घटना–स्थल का नक्शा–मौका
03.	प्र.पी.– 03 एवं प्रदर्श पी–04	आहत कबीर के फोट्रोग्राफ्स
04.	प्र.पी.– 05	धारा–65 बी का प्रमाण पत्र
05.	प्र.पी.– 06	आहत मांगीलाल की मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट
06.	प्र.पी.– 07	आहत भंवरलाल का मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट
07.	प्र.पी.– 08	आहत कबीर की मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट
08.	प्र.पी.– 09	आहत कबीर का ओ.पी.डी.पत्रक
09.	प्र.पी.– 10	आहत कबीर की एक्स–रे रिपोर्ट
10.	आर्टिकल ए–1 लगायत ए–3	आहत कबीर की एक्स–रे प्लेट
11.	प्र.पी.– 11 लगायत 13	जप्ती पत्रक
12.	प्र.पी.–14 लगायत 16	सूचना पत्र अंतर्गत धारा–41–क दप्रस

पुलिस थाना–पिपलौदा, जिला–रतलाम(म.प्र.) के अपराध क्रमांक–158 / 2023 अपराध अन्तर्गत धारा–325, 323, 506 भाग–2, 34 भा.द.वि., 1860 से उद्भूत प्रकरण।

// निर्णय //

01. **अभियुक्त रणछोड़** पर **धारा– 294, 323(शीर्ष 02), 325 / 34 एवं 506 भाग–2 भा.द.वि.** के तहत आरोप है कि–उसने दिनांक **07.05. 2023** को समय करीब **21:30** बजे के लगभग स्थान–राहुल भील के घर के सामने, ग्राम–कंचनखेड़ी पिपलौदा में लोकस्थान अथवा उसके समीप में

फरियादी भंवरलाल को अश्लील शब्द उच्चारित कर उन्हें एवं अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया एवं उक्त अभियुक्त ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी भंवरलाल को हाथ मुक्को से मारपीट कर एवं आहत मांगीलाल के साथ लोहे के पाईप से मारपीट कर भवंरलाल एवं मांगीलाल को स्वेच्छया उपहति कारित की एवं उक्त दिनांक समय व स्थान पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर आहत कबीर को गंभीर उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया व उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में आपने आहत कबीर के साथ लोहे के पाईप से मारपीट कर उसे गंभीर उपहति कारित की एवं उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर संत्रास कारित करने के आशय से फरियादी भंवरलाल, आहतगण मांगीलाल एवं कबीर को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02. **अभियुक्त घनश्याम** पर **धारा–323, 325/34 एवं 506 भाग–2 भा.द.वि.** के तहत आरोप है कि–उसने दिनांक **07.05.2023** को समय करीब **21:30** बजे के लगभग **स्थान–राहुल भील के घर के सामने, ग्राम–कंचनखेड़ी पिपलौदा** पर **आहत मांगीलाल** के साथ लोहे के पाईप से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित एवं उक्त दिनांक समय व स्थान पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर आहत कबीर को गंभीर उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया व उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में आपने आहत कबीर के साथ लोहे के पाईप से मारपीट कर उसे गंभीर उपहति कारित की एवं उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर संत्रास कारित करने के आशय से फरियादी भंवरलाल, आहतगण मांगीलाल एवं कबीर को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

03. **अभियुक्त दिलीप** पर **धारा–325, 323/34 एवं 506 भाग–2 भा.द.वि.** के तहत आरोप है कि–उसने दिनांक **07.05.2023** को समय करीब **21:30** बजे के लगभग **स्थान–राहुल भील के घर के सामने, ग्राम–कंचनखेड़ी पिपलौदा** पर आहत कबीर को लोहे के पाईप से मारकर, अस्थि भंग कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की एवं उक्त दिनांक समय व स्थान पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर आहत मांगीलाल को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया व उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में आपने आहत मांगीलाल के साथ लोहे के पाईप से मारपीट कर उसे उपहति कारित की एवं उक्त दिनांक, समय एवं स्थान

पर संत्रास कारित करने के आशय से फरियादी भंवरलाल, आहतगण मांगीलाल एवं कबीर को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

04. अभियोजन प्रकरण संक्षेप में यह है कि–फरियादी ग्राम कंचनखेड़ी रहकर खेती मजदूरी करता है। वह घटना दिनांक को रात्रि करीब 09:30 बजे के लगभग घर से गेंहूॅ पिसाने के लिए जयपालसिंह राजपूत की चक्की पर जा रहा था कि, राहुल भील के घर के सामने उसका काका रणछोड़, दिलीप, घनश्याल आये और उसके काका रणछोड़ उससे बोला कि, ''तुने 181 पर मेरी पत्नी कृष्णाबाई की शिकायत क्यो कि, तू शिकायत वापस ले ले'' तो उसने शिकायत लेने से मना कर दिया, और कहा कि, ''जब तक टंकी शमशान के पास नही बनेगी, तब तक वह शिकायत वापस नही लेंगा।'' तो इसी बात को लेकर रणछोड़ उसे मॉ–बहन की नंगी–नंगी अश्लील गालिया देने लगा, जो सुनने में बुरी लगी, तो उसने रणछोड़ को गालिया देने से मना किया तो रणछोड़ ने उसके साथ हाथ मुक्को से मारपीट की, जिससे उसके बाये गाल व कान पर चोट लगी इतने में फरियादी के बडे पापा का लड़का मांगीलाल आ गये जिन्होने बीच बचाव कर फरियादी को छुड़ाया तो रणछोड़ ने हाथ में लिये लोहे के पाईप से उसके काका मांगीलाल के सिर पर मारी,जो उनके दाहिने तरफ सिर में लगी व घनश्याम ने उसके काका मांगीलाल को लोहे के पाईप से मारी, जो उनके पीठ, पेट व दाहिने पांव की पिण्डली व दोनो हाथो पर चोट लगी इतमें में उसके काका मांगीलाल का लड़का कबीर आ गया, जिसने बीच बचाव किया, तो दिलीप ने लोहे के पाईप से उसके भाई कबीर के साथ मारपीट की, जो उसके सिर व हाथ में चोट लगी इतने में मौके पर भगवती पिता नन्दराम व बंकट पिता शैतान भील आ गये जिन्होने बीच बचाव कर उन्हें छुड़वाया। अभियुक्तगण जाते–जाते बोले कि ''आज तो बच गये अगर शिकायत वापस नही ली तो जान से खत्म कर देंगे।'' फरियादी के भाई कबीर को चोट लगने से परिवार वाले कबीर को जावरा सरकारी अस्पताल इलाज के लिए ले गये थे तथा वह और उसके काका मांगीलाल दोनो रिपोर्ट करने थाने आये थे।

05. उक्त रिपोर्ट पर से थाना के अपराध कमांक–158/2023 धारा–294, 323, 506 भाग–2, 34 भा.द.वि. का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौराने विवेचना फरियादी की निशादेही से घटना–स्थल का नक्शा–मौका बनाया गया। फरियादी व साक्षियों के कथन लेखबद्ध कये

गये व जप्ती–पत्रक तैयार किया गया और आहतगण के मेडिकल दस्तावेज प्रकरण में संलग्न किये गये। आहत कबीर की एक्स–रे रिपोर्ट में फ्रेक्चर होने से प्रकरण में धारा–325 भादवि का ईजाफा किया गया। आरोपीगण को धारा–41(क) द.प्र.सं. का सूचना–पत्र दिया गया। बाद संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग–पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया।

06. न्यायालय द्वारा **अभियुक्तगण** के विरूद्ध **धारा–294, 323, 323/34, 325 एवं 325/34 एवं 506 भाग–2 भा.द.वि.** के अन्तर्गत आरोप का संज्ञान लिया जाकर आरोप निर्मित कर पढकर सुनाये व समझाये जाने पर **अभियुक्तगण** द्वारा आरोप अस्वीकार करते हुये विचारण किया जाना व्यक्त किया गया। **अभियुक्तगण** के विरुद्ध अभियोजन साक्ष्य में आये आलिप्तकारी तथ्यों पर प्रश्नावली तैयार कर अभियुक्त का परीक्षण किया गया, जिसमें उसने आपसी मनमुटाव के कारण झूठा फंसाने का कथन किया। **अभियुक्तगण** द्वारा अपने बचाव में कोई साक्ष्य अंकित नहीं कराई है।

07. प्रकरण के न्यायोचित निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न अवधारणीय हैं:–

01.	क्या अभियुक्त **रणछोड़** दिनांक **07.05.2023** को समय करीब **21:30** बजे के लगभग स्थान–राहुल भील के घर के सामने, ग्राम–कंचनखेड़ी पिपलौदा में लोकस्थान अथवा उसके समीप में फरियादी भंवरलाल को अश्लील शब्द उच्चारित कर उन्हें एवं अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया ?
02.	क्या अभियुक्त **रणछोड़** ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियाद भंवरलाल को हाथ मुक्को से मारपीट कर एवं आहत मांगीलाल के साथ लोहे के पाईप से मारपीट कर भवंरलाल एवं मांगीलाल को स्वेच्छया उपहति कारित की ?
03.	क्या अभियुक्त **घनश्याम** ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर **आहत मांगीलाल** के साथ लोहे के पाईप से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
04.	क्या अभियुक्त **दिलीप** ने उक्त उक्त दिनांक समय व स्थान पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर आहत मांगीलाल को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया व उक्त सामान्य

	आशय के अग्रसरण में आपने आहत मांगीलाल के साथ लोहे के पाईप से मारपीट कर उसे उपहति कारित की ?
05.	क्या अभियुक्त **रणछोड़** एवं **घनश्याम** ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर आहत कबीर को गंभीर उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया व उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में आपने आहत कबीर के साथ लोहे के पाईप से मारपीट कर उसे गंभीर उपहति कारित की ?
06.	क्या अभियुक्त **दिलीप** ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आहत कबीर को लोहे के पाईप से मारकर, अस्थि भंग कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की ?
07.	क्या अभियुक्तगण **रणछोड़, घनश्याम एवं दिलीप** द्वारा उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर संत्रास कारित करने के आशय से फरियादी भंवरलाल, आहतगण मांगीलाल एवं कबीर को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
08.	दोषसिद्धि एवं दण्डादेश, यदि कोई हो ?

विचारणीय प्रश्न क्रमांक–02 लगायत 06 का सकारण निष्कर्ष

08. सर्वप्रथम इस तथ्य पर विचार किया जाना है कि दिनांक 07.05.2023 को आहत भंवरलाल व मांगीलाल को उपहति कारित हुई एवं आहत कबीर को घोर उपहति कारित हुई। इस संबंध में अभियोजन साक्षी **डॉ. पवन पाटीदार अ.सा.– 04** का कथन है कि–वह दिनांक 07.05.2023 को मेडिकल ऑफिसर के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपलौदा में पदस्थ था। उक्त दिनांक को आहत मांगीलाल का परीक्षण रात समय 10:59 पर किया गया था। उक्त परीक्षण में आहत मांगीलाल के सिर के दाहिनी तरफ फटा हुआ घाव जिसका आकार 3 गुणित 5 सेमी व सुजन जिसका आकार 6 गुणित 7 सेमी था। चोट क्रमांक–2 लालपन एवं सुजन जो कि पीठ पर चेस्ट के पीछे जिनका आकार 10 गुणित 5 सेमी, 5 गुणित 6 समी, 7 गुणित 8 सेमी, 6 गुणित 5 सेमी था। चोट क्रमांक–3 सुजन जिसका आकार 10 गुणित 7 सेमी, जो दाहिने कुल्हे पर थी। चोट क्रमांक–4 खरोच 3 गुणित 5 सेमी, जो कि पैर के दाहिने तरफ थी। चोट क्रमांक–5 सुजन जिसका आकार 5 गुणित 7 सेमी, बाये हाथ पर थी। चोट क्रमांक–6 लालपन व सुजन जिसका आकार 6 गुणित 3 सेमी दाहिने पैर पर था।

09. अभियोजन साक्षी **डॉ. पवन पाटीदार अ.सा.– 04** का आगे कथन है कि, उक्त दिनांक को ही समय रात्रि 11:04 बजे पर भंवरलाल का मेडिकल परीक्षण किया गया था, जिसके शरीर पर चोट क्रमांक–1 लालपन जिसका आकार 3 गुणित 5 सेमी, व 3 गुणित 3 सेमी, जो बाये गाल व कान पर था। चोट क्रमांक–2 सुजन 5 गुणित 7 सेमी, जो कि पेट पर थी। उक्त साक्षी के अभिमत अनुसार आहत मांगीलाल एवं भंवरलाल को आई उक्त चोटे सख्त एवं बोथरी वस्तु से आई होकर परीक्षण से डेढ दो घंटे के भीतर की होकर सामान्य प्रकृति की थी। साक्षी के द्वारा दी गई मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–6 एवं 7 है, जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है।

10. अभियोजन साक्षी **डॉ.अरूण गुप्ता अ.सा. 05** का कथन है कि–दिनांक 07.05.2023 को वह मेडिकल ऑफिसर के पद पर सिविल अस्पताल जावरा में पदस्थ था। उक्त दिनांक को रात्रि 11:00 बजे कबीर पिता मांगीलाल का मेडिकल परीक्षण साक्षी के द्वारा किया गया था, जिसके शरीर पर चोट क्रमांक–1 सिर के उपरी भाग पर एक फटा हुआ चोट का निशान, जिससे रक्त बह रहा था। जिसका आकार 6 गुणित आधा इंच था एवं चोट हड्डी की गहराई तक थी। चोट क्रमांक–2 उसके बाये हाथ में सुजन थी एवं तीसरी व चौथी अंगुली असामान्य आकार में थी। साक्षी के अभिमत अनुसार उपरोक्त चोटे किसी कडे एवं बोथरी वस्तु द्वारा परीक्षण से 6 घंटे के अंदर आना प्रतीत हो रही थी। उक्त आहत का एक्स–रे रिपोर्ट देखने के बाद सिर में अस्थि भंग नही होना पाया गया, पर उसके बाये हाथ की तीसरी एवं चौथी उंगली में अस्थि भंग पाया गया। एक्स–रे रिपोर्ट देखने पर हाथ में आई चोट गंभीर प्रकृति की थी। साक्षी के द्वारा दी गई एम एल सी रिपोर्ट प्रदर्श पी–8 है। ओ.पी.डी. पत्रक प्रदर्श पी–9 है, एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श पी–10 है, जिनके क्रमशः ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है। एक्स–रे प्लेट आर्टिकल ए–1 लगायत ए–3 है, जिसके आधार पर साक्षी द्वारा अभिमत दिया गया।

11. उपरोक्त साक्ष्य से दर्शित है कि, दिनांक 07.05.2023 को आहतगण भंवरलाल व मांगीलाल को साधारण उपहति कारित हुई थी तथा आहत कबीर को गंभीर उपहति कारित हुई। अब प्रश्न यह उठता है कि, उक्त उपहतियॉ आरोपीगण द्वारा पृथक कृत्य अथवा सामान्य आशय के अग्रसरण में कारित की गई। इस संबंध में अभियोजन साक्षी भंवरलाल अ.

सा.01 का कथन है कि– वह आरोपी रणछोड़लाल को जानता है, जो उसके पिताजी के काका का लड़का हैं। घटना दिनांक 07.05.2023 की होकर रात के 09:30 बजे की है। घटना दिनांक को वह गेहू पिसवाने के लिए जयपालसिंह राजुपत की चक्की पर जा रहा था, तभी राहुल भील के घर के सामने अभियुक्त रणछोड़ ने भवंरलाल से बोला कि, ''181 पर रणछोड़ की पत्नी कृष्णाबाई की शिकायत क्यों की, शिकायत वापस ले लो, तो साक्षी ने शिकायत लेने से मना कर दिया और बोला कि,श्मशान घाट के पास टंकी नही बनेगी, तो शिकायत वापस नही लेंगे।'' इसी बात पर रणछोड़ ने भवंरलाल के साथ लात–घुसो से मारपीट की, जिससे उसके बाये गाल एवं कान पर चोट लगी। इसके काका मांगीलाल मौके पर आ गये और बीच बचाव किया, रणछोड़ ने उसके काका मांगीलाल के साथ भी लोहे के पाईप से मारपीट की, जिससे उनके सिर में चोट लगी और घनश्याम ने उसके काका मांगीलाल को लोहे के पाईप से मारा, जिससे उनके पीठ, पेट, दाहिने पैर व दोनो हाथो में चोटे लगी थी, तभी उसके काका का लड़का कबीर बीच बचाव करने आया तो आरोपी दिलीप ने लोहे के पाईप से सिर में मारा और उसके हाथो की उंगलिया तोड़ दी।

12. अभियोजन साक्षी भंवरलाल अ.सा.01 का आगे कथन है कि मौके पर भंगवती पिता नंदराम व बंकट पिता शैतान भील ने बीच बचाव कर बचाया। कबीर को ज्यादा चोटे होने से उसे अस्पताल ले गये थे और मांगीलाल थाने पर रिपोर्ट करने गये थे। रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 के ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटना स्थल का नक्शा मौका उसकी निशादेही से बनाया था, जो प्रदर्श पी–2 है, जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है। साक्षी ने अपने मोबाईल से कबीर के फोटो खिचे थे, जो प्रदर्श पी–3 एवं प्रदर्श पी–4 है। धारा–65 बी का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–5 है, जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसका मेडिकल करवाया था और उसका बयान लिया था।

13. अभियोजन साक्षी **मांगीलाल अ.सा.02** का कथन है कि, आरोपीगण रणछोड़लाल एवं दिलीप उसके भाई है व आरोपी घनश्याम उसका भतीजा है। उक्त साक्षी ने साक्षी भंवरलाल के कथनो का समर्थन करते हुये व्यक्त किया कि, वह तथा उसका लड़का चिल्लाचोट की आवाज सुनकर राहुल भील के घर के सामने पहुचे थे। जहॉ पर रणछोड़ ने भवंरलाल के साथ हाथ मुक्को से मारपीट की थी और साक्षी बचाने गया तो रणछोड़ ने उसके साथ भी लोहे के पाईप से मारपीट की, जिससे

उसे सिर में चोट लगी थी और घनश्याम ने भी साक्षी के साथ लोहे के पाईप से मारपीट की थी, जिससे उसके पीठ, पेट व पैर व दोनो हाथो में चोट लगी। साक्षी का लड़का कबीर बचाने आया तो आरोपी दिलीप ने कबीर के साथ लोहे के पाईप से मारपीट की, जिससे उसके सिर व उंगली में चोट आई थी।

14. अभियोजन साक्षी **कबीर अ.सा.03** का कथन है कि–आरोपी रणछोड़लाल एवं दिलीप उसके अंकल है। अभियुक्त घनश्याम उसके बडे पापा का लड़का है। उक्त साक्षी ने साक्षी भंवरलाल एवं मांगीलाल के कथनो का पुर्णतः समर्थन किया।

15. उपरोक्त समस्त साक्षीगण की साक्ष्य से दर्शित है कि, साक्षी भंवरलाल, मांगीलाल व कबीर घटना के आहत साक्षीगण है, जिनकी साक्ष्य परस्पर सम्पोषक साक्ष्य है। घटना रात्रि 09:30 बजे के लगभग की है और प्रदर्श पी–1 के अनुसार पुलिस थाने में घटना दिनांक को ही रात्रि 10:55 पर घटना की सूचना दे दी गई थी। उक्त दिनांक को ही आहतगण का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया। उपरोक्त परिस्थिति में अभियोजन कहानी विश्वसनीय दर्शित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट में असत्य कहानी बनाये जाने की सम्भावना दर्शित नही होती है। आहत साक्षीगण की साक्ष्य का समर्थन प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा घटना दिनांक उनके शरीर पर दर्शित उपहतियों से होता है। उपरोक्त परिस्थिति में आहत साक्षीगण भवंरलाल एवं मांगीलाल एवं कबीर की साक्ष्य विश्वसनीय दर्शित होती है।

16. उपरोक्त साक्षीगण की साक्ष्य की विवेचना की जाये तो दर्शित है कि, उक्त तीनो आहत साक्षीगणो ने अभियोजन कहानी के अनुसार घटना का समर्थन करते हुये घटना दिनांक को विवाद प्रांरभ होने के समय रणछोड़ द्वारा भंवरलाल के साथ हाथ–मुक्को से एवं मांगीलाल के साथ लोहे के पाईप से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की, जिस समय रणछोड़ द्वारा आहत भंवरलाल एवं मांगीलाल के साथ मारपीट की गई, उस समय अन्य आरोपीगण का मौके पर उपस्थित होकर आरोपी रणछोड़ के साथ उक्त कृत्य में सामान्य आशय निर्मित करना तथा उसके अग्रसरण में भवंरलाल एवं मांगीलाल के साथ मारपीट करना दर्शित नही होता है। उपरोक्त साक्ष्य से स्पष्टतः प्रकट होता है कि, रणछोड़ द्वारा फरियादी भंवरलाल को हाथ–मुक्को से मारा गया और आहत मांगीलाल को लोहे के पाईप से मारा गया, जिससे भंवरलाल को प्रदर्श पी–7 अनुसार चोटे कारित हुई और मांगीलाल के सिर में चोट लगी।

17. इसके अतिरिक्त जब आरोपी घनश्याम ने मांगीलाल के साथ लोहे के पाईप से मारपीट की, तब मांगीलाल को लड़का बचाने आया तो आरोपी दिलीप ने कबीर के साथ लोहे के पाईप से मारपीट की। उपरोक्त परिस्थिति से दर्शित होता है कि, आरोपी घनश्याम द्वारा मांगीलाल को लोहे के पाईप से मारे जाने के कृत्य पर उसके लड़के द्वारा बचाने जाने पर आरोपी दिलीप ने आरोपी घनश्याम के कृत्य का समर्थन करते हुये मांगीलाल को बचाने नही दिया अपितु बचाने वाले आहत कबीर के साथ भी मारपीट की, जिससे दर्शित होता है कि, आरोपी घनश्याम द्वारा मांगीलाल के साथ लेाहे के पाईप से मारपीट करने में आरोपी दिलीप का सामान्य आशय दर्शित हेाता है, जिसके अग्रसरण में आरोपी दिलीप द्वारा आहत मांगीलाल के साथ लोहे के पाईप से मारपीट किया जाकर उसे उपहति कारित करना दर्शित होता है।

18. आहत साक्षीगण भंवरलाल, मांगीलाल एवं कबीर की साक्ष्य से स्पष्टतः दर्शित है कि, आरोपी दिलीप ने आहत कबीर के साथ लोहे के पाईप से मारपीट की, जिससे उसके सिर एवं उंगलियो में चोट आई थी। प्रदर्श पी—8 एवं 10 के अवलोकन से स्पष्ट है कि, आहत कबीर की उंगलियो में आई चोटे गंभीर प्रकृति की थी। अब प्रश्न यह उठता है कि, आरोपी दिलीप द्वारा कबीर को गंभीर उपहति पहुचाये जाने में आरोपी रणछोड़ एवं घनश्याम का सामान्य आशय होकर उसके अग्रसरण में आहत कबीर को गंभीर उपहति पहुचाई गई। यह अवलोकनीय है कि, मौके पर घ टना आरोपी रणछोड़ द्वारा भंवरलाल को शिकायत वापस लेने का कहने पर भंवरलाल द्वारा शिकायत वापस न लेने की बात पर रणछोड़लाल द्वारा मारपीट प्रांरभ की गई। उक्त मारपीट में मांगीलाल द्वारा जब भंवरलाल को बचाने का प्रयास किया गया, तो घनश्याम ने मांगीलाल के साथ मारपीट की और जब मांगीलाल को बचाने कबीर आया तो दिलीप ने उसके साथ लोहे के पाईप से मारपीट कर गंभीर उपहति पहुचाई।

19. आरोपीगणो के उक्त कृत्य से दर्शित होता है कि, आरोपीगण घनश्याम एवं दिलीप ने आरोपी रणछोड़ द्वारा प्रांरभ विवाद में समर्थन किया और उक्त विवाद में फरियादी पक्ष को बचाने आये लोगो के साथ भी मारपीट की। आरोपीगण ने अन्य आरोपी के द्वारा आहत को मारे जाने पर आहत को बचाया नही और ना ही बचाने का प्रयास किया, अपितु आहतगणो के साथ मारपीट के कृत्य का समर्थन करते हुये

आहतगणो को उपहति कारित की गई। उक्त कृत्य से दर्शित होता है कि, आरोपीगण रणछोड़ एवं घनश्याम द्वारा आरोपी दिलीप के आहत कबीर को मारे जाने के कृत्य का पुर्णतः समर्थन किया गया, जो दर्शाता है कि, आरोपीगण रणछोड़ एवं घनश्याम द्वारा आरोपी दिलीप के साथ मिलकर आहत कबीर को गंभीर उपहति कारित करने के कृत्य में सामान्य आशय निर्मित किया, जिसके अग्रसरण में आरोपी दिलीप द्वारा आहत कबीर के साथ लोहे के पाईप से मारपीट कर अंस्थि भंग कारित किया।

20. उपरोक्त विवेचना के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय न्याय दृष्टांत– **स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम गुरबचनसिंह 2022 लाईव लॉ (एस.सी.) 1028** अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित किया गया है कि सामान्य आशय क्षण भर में घटना के दौरान भी बन सकता है।

21. भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा– **39** के अनुसार कोई व्यक्ति किसी परिणाम को ''स्वेच्छया'' कारित करता है, यह तब कहा जाता है, जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करना उसका आशय था या उन साधनों द्वारा कारित करता है, जिन साधनों को काम में लाते समय यह जानता था या यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना संभाव्य है। यह उल्लेखनीय है कि आरोपीगण द्वारा आहतगण के साथ लात–घूसों तथा लोहे के पाईप इन सभी साधनों से मारपीट की गई। उपरोक्त साधनों का प्रयोग आरोपीगण द्वारा आहतगण को चोट पहुंचाने के आशय से किया गया, जो कि यह दर्शाता है कि आरोपीगण को यह विश्वास करने का कारण था कि उक्त साधनों से आरोपीगण आहतगण को साधारण उपहति एवं घोर उपहति कारित कर सकते हैं। उपरोक्त परिस्थिति में यह कहना उचित है कि आरोपीगण द्वारा किये गये पृथक –पृथक कृत्य एवं सामान्य आशय के अग्रसरण में किये गये कृत्य से आहतगण को जो उपहति कारित हुई है, वह आरोपीगण द्वारा स्वेच्छया कारित की गई है।

22. अतः विचारणीय बिन्दु प्रश्न क्रमांक–**02 लगायत 06** के संबंध में निष्कर्ष **प्रमाणित** के रूप में दिया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक–07 का सकारण निष्कर्ष

23. **धारा– 506 भाग–2 भा.द.सं.** के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के

गठन के लिए यह साबित किया जाना आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा आशयपूर्वक धमकी दी गई थी एवं अभियुक्त द्वारा दी गई धमकी के परिणामस्वरूप फरियादी का डरना या फरियादी के मन में यह आशंका उत्पन्न होना आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा दी गई धमकी को अभियुक्त अवश्य पूरा कर लेगा। इसके अतिरिक्त आपराधिक अभित्रास का अपराध गठित करने के लिए धमकी वास्तविक होनी चाहिए ना कि शब्द मात्र, जहां कि शब्द बोलने वाले व्यक्ति का आशय वह नहीं होता, जो कि वह कह रहा है और वह व्यक्ति जिसे धमकी दी गई है, वास्तव में वह भयभीत ना हो, वहां अपराध गठित नहीं होता।

24. साक्षी भंवरलाल, मांगीलाल एवं कबीर ने सारतः कथन किया है कि, अभियुक्तगण ने धमकी दी थी कि, शिकायत वापस ले लो नही तो जान से मार देंगे। अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य से दर्शित है कि, शिकायत वापस लेने की बात को लेकर घटना प्रारंभ हुई थी और उसी बात पर आरोपीगण द्वारा आहतगण के साथ लात–घुसो तथा लोहे के पाईप से मारपीट की गई, जिसमें आहत कबीर को हाथ की उंगलियो में अस्थि भंग होकर घोर उपहति कारित हुई और भंवरलाल तथा मांगीलाल को साधारण उपहति कारित हुई। यह भी अवलोकनीय है कि, आहत कबीर को लोहे के पाईप से सिर में मारा गया, जिसमें उसे हड्डी की गहराई तक फटा हुआ घाव कारित हुआ, जिससे रक्त भी बह रहा था। उपरोक्त परिस्थिति में दर्शित होता है कि आरोपीगण द्वारा दी गई धमकी को क्रिंयान्वित करने हेतु लोहे के पाईप जैसे संसाधनो का उपयोग किया गया, जिससे सिर में मारे जाने पर मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है। उपरोक्त परिस्थिति में आरोपीगण द्वारा दी जाने वाली धमकी शब्द मात्र दर्शित नही होती अपितु उपरोक्त परिस्थितियों में आरोपीगण उक्त धमकी को क्रिंयान्वित करने हेतु तत्पर दर्शित होते है। उक्त विवाद के सबंध में ही फरियादी पक्ष द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई, जिसमें शिकायत वापस लेने की धमकी के सबंध में बताया गया एवं उक्त बात पर घटना कारित होना व्यक्त किया गया। उपरोक्त परिस्थिति में दर्शित होता है कि, आहतगणों के मन पर उक्त धमकी के क्रियान्वयन के सबंध में आशंका कारित हुई।

25. अतः विचारणीय बिन्दु क्रमांक–**07** के संबंध में यह निष्कर्ष **प्रमाणित** के रूप में दिया जाता है।

<u>विचारणीय प्रश्न क्रमांक–01 का सकारण निष्कर्ष</u>

26. इस संबंध में अभियोजन साक्षीगण भवंरलाल **अ.सा.— 01**, साक्षी मांगीलाल **अ.सा.—02** एवं कबीर **अ.सा.—03** ने अपने कथनों में आरोपी रणछोड़लाल द्वारा घटना—स्थल पर भवंरलाल को मॉ—बहन की अश्लील गालिया देने का कथन किया है। साक्षी मांगीलाल एवं कबीर ने उक्त गालिया सुनने में बुरी लगने का कथन किया है। यह अवलोकनीय है कि, उक्त साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में खेती व मजदूरी करने का कथन किया है। इससे दर्शित होता है कि, उक्त साक्षीगण ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है।

27. माननीय उच्च न्यायालय का **न्यायदृष्टांत— शरद दबे एवं अन्य विरूद्ध महेश गुप्ता एवं अन्य 2005 (II) एम.पी.जे.आर. 71** अवलोकनीय है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि— "In colloquial language, the abuse like "" are often used and nobody understands such abuses in their literal sense. They only show the enraged state of mind. Such abuses which people do not hesitate in uttering even in the presence of their children or other family members do not have tendency to deprae and corrupt those who listen such words..." उक्त न्यायदृष्टांत में प्रतिपादित सिद्वांत हस्तगत मामलें पर लागू होते हैं। यह अवलोकनीय है कि उभयपक्ष के मध्य 181 पर शिकायत करने की बात को लेकर झगडा हुआ था। उपरोक्त परिस्थिति में आरोपी द्वारा दी जाने वाली गालियां आरोपी की आक्रोशित मनःस्थिति को दर्शातें हैं और ना कि अश्लीलता को। यह भी अवलोकनीय है कि एक ही गावं के होकर समान पृष्ट भूमि से आते हैं। ऐसी स्थिति में उपरोक्त गालियां उच्चारित कर अपने मनःस्थिति प्रकट करना ऐसी पृष्ट भूमि के लोगों के लिए सामान्य बात है।

28. अतः विचारणीय बिन्दु क्रमांक— **01** के संबंध में यह निष्कर्ष **अप्रमाणित** के रूप में दिया जाता है।

:: अंतिम आदेश ::

29. अतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक—**01 लगायत 07** पर प्राप्त निष्कर्ष एवं प्रकरण की परिस्थितियों के आधार पर यह कहना उचित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे **अभियुक्तगण** के विरूद्ध यह साबित करने

में सफल रहा है कि घटना दिनांक को **अभियुक्तगण** द्वारा **फरियादी एवं आहत** को स्वेच्छया घोर उपहति एवं स्वेच्छया उपहति एवं जान से धमकी देकर अभित्रास कारित की गई थी तथा यह साबित करने में असफल रहा कि आरोपी रणछोड़लाल द्वारा आहत भंवरलाल को अश्लील गालियां देकर उसे तथा अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया।

30. तदानुसार **अभियुक्त–01. रणछोड़लाल पिता बालाराम,उम्र–41 वर्ष,निवासीगण–कंचनखेड़ी,थाना–पिपलौदा, जिला–रतलाम (म.प्र.)**को **धारा–294 भा.द.वि.** के अपराध में सिद्धदोष न पाते हुये **दोषमुक्त** किया जाता है।

31. **अभियुक्तगण–01. रणछोड़लाल पिता बालाराम,उम्र–41 वर्ष** को अंतर्गत धारा–323(शीर्ष 02), 325/34 एवं 506 भाग–2 भादवि एवं **अभियुक्त 02. दिलीप पिता बालाराम, उम्र–38 वर्ष** को अतर्गत धारा–325, 323/34 एवं 506 भादवि एवं **अभियुक्त 03. घनश्याम पिता छोगालाल, उम्र–24 वर्ष, निवासीगण–कंचनखेड़ी,थाना–पिपलौदा, जिला–रतलाम (म.प्र.)** को अंतर्गत **धारा–323,325/34 एवं 506 भाग–2 भा.द.वि.** के अंतर्गत सिद्धदोष पाते हुये **दोषसिद्ध** किया जाता है।

32. दोषसिद्ध को परीवीक्षा का लाभ देने पर विचार किया गया। विद्वान अधिवक्ता **श्री राजनसिंह सोलंकी** द्वारा यह तर्क किया गया कि दोषसिद्धगण प्रतिष्ठित व्यक्ति है। दोषसिद्धगण का पूर्व में अपराध कारित करने का कोई रिकार्ड नहीं है। अतः दोषसिद्धगण को परीवीक्षा का लाभ देने का निवेदन किया गया है। अपराध की प्रकृति एवं अपराध के परिणामों पर विचार किया गया। दोषसिद्धगण द्वारा **आहतगण** के साथ समूह में मारपीट कर सिद्ध अपराध कारित किया गया है। यदि उक्त मामले में दोषसिद्धगण को परीवीक्षा का लाभ दिया गया तो लड़ाई–झगड़ा कर लोक परिशांति भंग करने के अपराध को बढ़ावा मिलेगा तथा सामान्य लोगों की सुरक्षा पर खतरा बढेगा। अतः उक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये दोषसिद्धगण को परीवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित नहीं है।

33. दोषसिद्धगण एवं अभियोजन द्वारा दंड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु प्रकरण कुछ समय के लिये स्थगित किया जाता है।

(शिवानी राठौर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जावरा, जिला– रतलाम (म0प्र0)

<u>पुनश्चः–</u>

दंड के प्रश्न पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता **श्री राजनसिंह सोलंकी** द्वारा दोषसिद्धगण को दंड देने में उदारता बरतने का निवेदन किया गया। अभियोजन द्वारा कठोर दंड देने का निवेदन किया गया।

34. नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार दोषसिद्धगण को कारित अपराध के अनुपात के अनुसार दंड दिया जाना चाहिये। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि, दोषसिद्धगण द्वारा किये गये अपराध से **आहत कबीर** को हाथ में अस्थि भंग होकर घोर उपहति कारित हुई है, जिससे उसके दैनिक जीवन के कार्यों पर प्रभाव पड़ा है। इसके अतिरिक्त आहत कबीर के सिर में हड्डी की गहराई तक 6 गुणित आधा इंच लम्बा–चौड़ा फटा हुआ घाव कारित हुआ। आहत मांगीलाल को शरीर के विभिन्न भागो पर विभिन्न चोटे कारित हुई। उक्त अपराध में दोषसिद्धगण द्वारा लोहे के पाईप जैसे साधनों का उपयोग मारपीट हेतु किया गया। दोषसिद्धगण लगभग 26 से 45 वर्ष के सक्षम व्यक्ति है। प्रकरण, दोषसिद्धगण व आहतगण की परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये निम्नलिखित दंड अधिरोपित किया जाता हैः–

अभियुक्तगण के नाम	**भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा**	**कारावास**	**अर्थदण्ड**	**व्यतिक्रम कारावास दण्ड**
रणछोड़लाल	323 शीर्ष 02	6–6 माह का सश्रम कारावास	1,000–1,000 / रूपये (कुल 2,000 / –रू.)	1 माह साधारण कारावास
	325 / 34	3 वर्ष का सश्रम कारावास	10,000 / –रूपये	6 माह का साधारण कारावास
	506 भाग–2	1 वर्ष का सश्रम करावास	1,000 / –रूपये	15 दिवस का साधारण कारावास
घनश्याम	323	6 माह का सश्रम कारावास	1,000 / –रूपये	1 माह का साधारण कारावास
	325 / 34	3 वर्ष का सश्रम	10,000 / –रूपये	6 माह का

		कारावास		साधारण कारावास
	506 भाग–2	1 वर्ष का सश्रम करावास	1,000/–रूपये	15 दिवस का साधारण कारावास
दिलीप	325	3 वर्ष का सश्रम कारावास	10,000/–रूपये	6 माह का साधारण कारावास
	323/34	6 माह का सश्रम कारावास	1,000/–रूपये	1 माह का साधारण कारावास
	506 भाग–2	1 वर्ष का सश्रम करावास	1,000/–रूपये	15 दिवस का साधारण कारावास

35. दोषसिद्धगण को कारावास का दण्ड साथ–साथ भुगताया जावे।

36. **धारा– 357 द.प्र.सं.** के आलोक में अधिरोपित जुर्माने की **राशि** में से **15,000/– रूपये** आहत कबीर को, **रूपये 10,000/–** आहत मांगीलाल को एवं **रूपये 5,000/–**आहत भंवरलाल को उन्हें हुई हानि की क्षतिपूर्ति के रूप में अदा की जाये।

37. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति तीन लोहे के पाईप मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे। अथवा अपील होने की दशा में मान्नीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार सम्पत्ति का व्ययन किया जाए।

38. प्रकरण में **अभियुक्तगण** द्वारा प्रस्तुत पूर्व के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। दोषसिद्धगण की ओर से **धारा– 437(क) द.प्र.सं.** के प्रयोजन हेतु स्वयं का **10,000–10,000/–** रूपये के मुचलके प्रस्तुत किये गये, उक्त मुचलका निर्णय दिनांक से 06 माह की अवधि पश्चात् भारमुक्त समझे जावें।

39. निर्णय की एक–एक प्रति दोषसिद्धगण को निःशुल्क प्रदान की

जाये।

40. दोषसिद्धगण का सजा वारंट बनाकर उन्हें अधिरोपित दंडादेश भुगताये जाने हेतु **उपजेल जावरा** भेजा जावें।

41. प्रकरण में दोषसिद्धगण विचारण व अन्वेषण के दौरान निरोध में नहीं रहे हैं, इस संबंध में **धारा– 428 द.प्र.सं.** के तहत प्रमाण–पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न करें।

स्थान– जावरा, जिला– रतलाम (म.प्र.)
दिनांक 28.07.2026

खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित, कर निर्णय घोषित किया गया।

SHIVANI RATHORE Digitally signed by SHIVANI RATHORE Date: 2026.07.28 16:43:39 +0530

(शिवानी राठौर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जावरा, जिला– रतलाम (म0प्र0)

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

SHIVANI RATHORE Digitally signed by SHIVANI RATHORE Date: 2026.07.28 16:43:52 +0530

(शिवानी राठौर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जावरा, जिला– रतलाम (म0प्र0)